संख्या-422/2017/12/22-2-2017-17(36)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 13 जून, 2017***

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी रामसहेली पत्नी श्री शिवनन्दन, निवासी जनपद-खीरी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-42941/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-28.10.2016 दिनांक 02.12.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 02.12.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी रामसहेली पत्नी श्री शिवनन्दन, निवासी ग्राम बसारा, थाना नीमगांव, जनपद-खीरी की रहने वाली है। महिला बन्दी द्वारा दहेज की मांग को लेकर दिनांक 19.12.1999 को अपने 02 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर 01 महिला की हत्या कर अपराध कारित किया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-346/2000 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी व 4 डी.पी. एक्ट के अन्तर्गत मा0 विशेष/अपर सत्र न्यायाधीश, खीरी के आदेश दिनांक 14.02.2005 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.06.2016 तक 11 वर्ष 02 माह 27 दिन की अपरिहार एवं 13 वर्ष 05 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट तथा दयायाचिका समिति द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है तथा सक्षम स्तर पर यह पाया गया है कि बन्दी के 02 सहअभियुक्त अभी जेल में हैं। अत: समय से पूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि महिला बन्दी रामसहेली (बन्दी संख्या-1441/एन.बी.एन.) पत्नी श्री शिवनन्दन, निवासी-जनपद-खीरी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-422/2017/12/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, खीरी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in